

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 18 / 2023 GCMS NO. 2023/89 उनवानी सुमेर सिंह बनाम गणपत आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट 1955	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------	---	---

024 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद संख्या 293/2022 उनवानी सुमेरसिंह आदि बनाम औंकार आदि का दिनांक 15.07.2024 को अंतिम निर्णय हो चुका है। इसलिये अब उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार रिकार्ड से मूल वाद को तलब कर अवलोकन करने पर पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद का दिनांक 15.07.2024 को अंतिम निर्णय हो चुका है। इसलिये अब मूल वाद के अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र आगे चलने योग्य नहीं है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

[Handwritten Signature]
1.08.24



(सविता शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला नीमकाथाना (राज0)
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी